Raja Mahendra Pratap Singh University Aligarh

राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

PROSPECTUS 2026-27

राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,पलवल रोड, लोधा, अलीगढ़-202140
Website-www.rmpssu.ac.in

Contents

About the University – 01

Infrastructure & Services – 02

विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध राजकीय अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के लिए प्रवेश नियमावली – 03 -12

Important Guideline for Filling the form – 13-15

Fee Structure – 16-17

संदेश

विश्वविद्यालय का उद्देश्य आधुनिक पाठ्यक्रमों और अनुसंधान के अवसरों के माध्यम से छात्रों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वह वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों। हमारा विश्वविद्यालय अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा जिलों के छात्रों के लिए एक उत्कृष्ट शैक्षिक केंद्र के रूप में उभर रहा है।

विगत सत्र से हमारी नई बिल्डिंग में 26 पाठ्यक्रम शुरू किए गये, जो आपके करियर को नई दिशा प्रदान करेंगे।

आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहें, अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों, जैसे खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और योग जैसे आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लें। यह सभी गतिविधियाँ आपके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

हमारी नई बिल्डिंग और अत्याधुनिक सुविधाएँ आपके लिए एक बेहतर शैक्षिक वातावरण प्रदान करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आप इस अवसर का उपयोग न केवल अपनी शिक्षा के लिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझने के लिए भी करें।

अंत में, मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ मिलकर एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण बनाएँ। यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा आपके साथ है।

आपके उज्ज्वल भविष्य और सफलता की कामना के साथ,

प्रो. नरेंद्र बहादुर सिंह
कुलपति
राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

1. About the University.....

Raja Mahendra Pratap Singh University (RMPSU) is a residential-cum-affiliating state university located in Aligarh, Uttar Pradesh, India. It is recognized by the University Grants Commission (UGC) and aims to foster creativity, scientific temper and social awareness among students while contributing to regional and national development.

RMPSU offers a wide array of academic programs, catering to diverse interests and career aspirations. These include diploma, undergraduate, Education and postgraduate courses in disciplines such as Arts, Science, Commerce, Law, Computer Applications and Agriculture. Popular programs include B.Sc, B.A., BBA, B.Com, M.A., M.Sc., M.Com. and BCA among others. The university's affiliation with nearly colleges amplifies its reach, providing students across Uttar Pradesh access to quality education. Admissions for the 2026-27 academic session are managed through an efficient online portal (rmpssuadm.samarth.edu.in)

The university's foundation stone was laid by Prime Minister Narendra Modi in September 2021, marking a significant step toward expanding higher education in the region. Recognized by the University Grants Commission (UGC), RMPSU operates as a residential-cum-affiliating university, overseeing affiliated colleges while fostering academic excellence and holistic development on its own CAMPUS. Its mission is to cultivate creativity, scientific inquiry and social awareness among students, aligning with national goals of education and empowerment.

Infrastructure & Services

Academic Block

Student Facility Center

Library

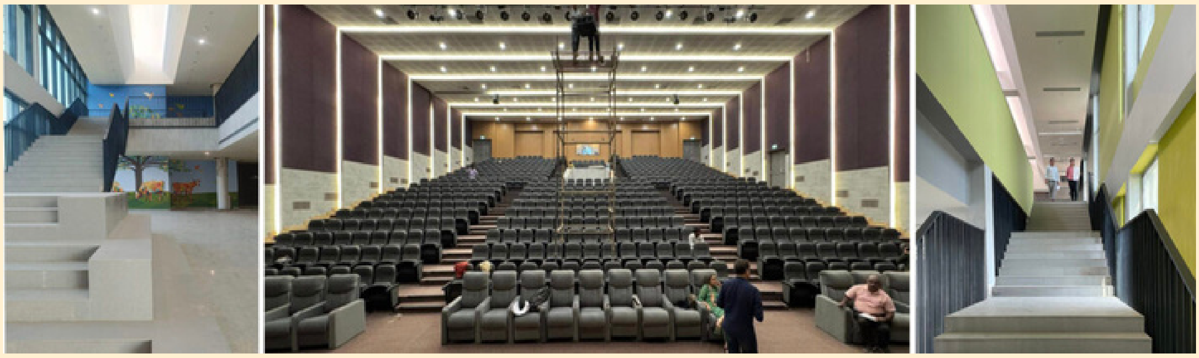

Auditorium

Cafeteria

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

सत्र-2026-2027

विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध राजकीय अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के लिए प्रवेश नियमावली

प्रवेश नियम-

1. प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल https://rmpssuadm.samarth.edu.in/ पर समयबद्ध सफल पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
2. योग्यता सूची के आधार पर विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही समयबद्ध सफल पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जायेगें।
3. विश्वविद्यालय परिसर, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ की आरक्षण नीति के अनुसार प्रवेश किए जायेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित होंगे। यदि किसी पाठ्यक्रम में कुल स्थान 100 है तो 10 स्थान आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगें तथा 10 सीट मूल 100 सीट के अतिरिक्त होंगी।
4. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बिना कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा। यह प्रवेश नियमावली विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम यथा डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा (वर्तमान में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़) पर लागू के अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होगें तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, प्रबन्धन, शिक्षा तथा विधि संकाय की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होगें। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों / विषयों में दिया जायेगा, जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा महामहिम कुलाधिपति महोदय से प्राप्त है और उनका प्रावधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान है तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमावली के आधार पर समस्त कक्षाओं में मेरिट (राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एलएल0एम0 / एम0एस0सी0 एग्रोनौमी पाठ्यक्रम को छोड़कर) के आधार पर किये जायेगें।
2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनके दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3. सत्र 2026-27 से विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश समर्थ पोर्टल अनुश्रवण प्रणाली (Admission Monitoring System) के माध्यम से किये जा रहे हैं । इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी पांच चरणों क्रमशः (1) पंजीयन (2) वेब रजिस्ट्रेशन (3) फार्म भरना (4) पाठ्यक्रम चुनना (5)फार्म Offline / Online माध्यम से पूर्ण करके जिस महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है, वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार पाँच पाठ्यक्रमों/महाविद्यालयों का चयन कर सकता है। सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र है, परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगें जो प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली (Admission Monitoring System) की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेगें।
4. विश्वविद्यालय परिसर, महाविद्यालय एवं प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध है।
5. विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी से स्नातक स्तर पर 200/- रू0 तथा परास्नातक स्तर पर 300/- रू0 शुल्क वेब रजिस्ट्रेशन के रूप में लिया जायेगा । जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा होगी , उनके लिये पंजीकरण शुल्क 1000/-रू0 होगा ।

सामान्य निर्देश

1.(अ) सत्र **2026-2027** के लिए प्रत्येक कक्षा में प्रवेश उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार लिया जायेगा। उत्तर प्रदेश के निवासी ही आरक्षण के हकदार होगें। अन्य प्रदेशों से आये हुए अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेगें। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अनारक्षित व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग(Non-Creamy Layer) 5 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन (श्रवण बाधित चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित) के लिए (छात्र/छात्रा के स्वंय से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) के अंतर्गत ही) तथा 10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के लिए आरक्षित होगे। दिव्यांगजन के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यदि कश्मीरी छात्र/ छात्रा है तो उसे प्रवेश में प्राथमिकता दी जायगी। यदि आरक्षित वर्ग ओ0बी0सी0 / एस0सी0/ एस0टी0 वर्ग (OBC/SC/ST) के अभ्यर्थियों की मेरिट अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान अथवा उससे ऊपर आती है तब उनको प्रवेश अनारक्षित श्रेणी में दिया जायेगा। अन्य आरक्षण जैसे दिव्यांगजन आदि क्षैतिज आधार पर होगा।

(ब) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा, जिस पर प्रत्येक कालेज को प्रवेश नियमावली अपलोड कराना होगा। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय एक कम्प्यूटर ऑपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इन्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है।

(स) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है एवं प्रवेशोपरान्त यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में योग्यतांक सूची में स्थान प्राप्त करता है और वह उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र / छात्रा के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर रद्द कराना होगा। ऐसी स्थिति में प्रवेश प्रारंभ की तिथि से छात्र / छात्रा को 30 दिन के अन्दर लिखित रूप में आवेदन करना होगा। 90% शुल्क की वापिसी कॉलेज द्वारा अधिकतम 2 माह के अन्दर छात्र / छात्रा को करनी होगी।

2. सत्र 2026-27 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष सेमेस्टर में प्रवेश उपरोक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत दिये जायेगें तथा प्रवेश शुल्क के साथ 300/- रू0 उपाधि शुल्क भी छात्र / छात्रा द्वारा देय होगा।

3. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी-

(i)बी0ए0/ बी0कॉम0 के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ii)बी0एससी0 (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित वर्ग या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(iii)बी0एससी0(लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट जीव विज्ञान वर्ग या इण्टर कृषि वर्ग परीक्षा में उत्तीर्ण।

(iv) बी0एससी0 (कृषि) के लिए कला व वाणिज्य वर्ग को छोड़कर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(v) बी0ए0एलएल0बी0 पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम में अनारक्षित श्रेणी हेतु 45 प्रतिशत अथवा सी0जी0पी0ए0 4.73, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 42 प्रतिशत अथवा सी0जी0पी0ए0 4.42 तथा अनुसूचित जाति /जनजाति एवं दिव्यांगजन हेतु 40 प्रतिशत अथवा सी0जी0पी0ए0 4. 21 के साथ उत्तीर्ण की हो ।

(vi) एलएल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्नातक अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम में अनारक्षित श्रेणी हेतु 45 प्रतिशत अथवा सी0जी0पी0ए0 4.73, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 42 प्रतिशत अथवा सी0जी0पी0ए0 4.42 तथा अनुसूचित जाति / जनजाति एवं दिव्यांगजन हेतु 40 प्रतिशत अथवा सी0जी0पी0ए0 4.21 के साथ उत्तीर्ण की हो।

(vii) यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा हाईस्कूल के पश्चात 03 वर्ष का प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य काई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो ऐसे छात्र छात्रा को स्नातक एवं बी0ए0एलएलबी0 में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।

(viii) बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र/छात्रा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हा अथवा बी0पी0 ई0एस0 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो। प्रवेश हेतु एनसीटीई की अन्य शर्त मान्य होगी।

(ix) बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जायेंगे।

(x) स्नातक चतुर्थ वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (कला संकाय) में प्रवेश हेतु छात्र / छात्राओं द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अथवा न्यूनतम सी0जी0पी0ए0 4.73 के साथ सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया गया हो। परन्तु परास्नातक के प्रयोगात्मक एवं साहित्यिक विषय में प्रवेश हेतु छात्र / छात्राओं द्वारा स्नातक स्तर के तीनों वर्षों में वह विषय एक मुख्य विषय के रूप में पढ़कर उस विषय में 44 क्रेडिटस अर्जित किया जाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति /जनजाति / दिव्यांगजन छात्र / छात्राओं के लिये 5 प्रतिशत अंकों की छूट के साथ यह सीमा न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत अथवा न्यूनतम सी0जी0पी0ए0 4.21 होगा।

(xi) स्नातक चतुर्थवर्षीय /स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (विज्ञान संकाय) में प्रवेश हेतु छात्र / छात्रा द्वारा चयनित विषय स्नातक स्तर पर तीनों वर्षों में मुख्य विषय के रूप में पढ़कर उसमें 44 कैडेट्स अर्जित किया जाना अनिवार्य है। स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अथवा 5.26 सी0जी0पी0ए0 अर्जित कर उत्तीर्ण होन वाले छात्र/छात्रा इसके लिये अर्ह होंगे।अनुसूचित जाति /जनजाति/ दिव्यांगजन के छात्र/छात्राओं के लिये 5 प्रतिशत अंको की छूट के साथ यह सीमा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अथवा न्यूनतम 4.73 सी0जी0पी0ए0 होगी।

(xii) कृषि संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एससी0 (कृषि) परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति / जनजाति /दिव्यांगजन के छात्र / छात्राओं को 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी

(xiii) एम0एससी0 (कृषि) में प्रवेश हेतु, ऐसे छात्र/छात्राओं जिन्होंने बी0एससी0एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एम0एससी0 (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होगें, परन्तु जिन छात्र/छात्राओं द्वारा बी0एससी0 (एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र छात्राओं उसी विषय के लिए एम0एससी0 (एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होगें। उपरोक्त परिस्थितियों में छात्र / छात्रा द्वारा न्यूनतम प्राप्तांक 45 प्रतिशत होना अनिवार्य है तथा सम्बन्धित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति / जनजाति / दिव्यांगजन के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(xiv) स्नातक चतुर्थ वर्ष / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (वाणिज्य संकाय) में प्रवेश हेतु छात्र / छात्राओं द्वारा स्नातक त्रिवर्षीय परीक्षा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अथवा 4.73 सी0जी0पी0ए0 के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति / जनजाति /दिव्यांगजन छात्र / छात्राओं हेतु 5 प्रतिशत अंकों की छूट के साथ यह सीमा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अथवा 4.21 सी0जी0पी0ए0 होगी।

(xv) एलएल0एम0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिनमें विधि स्नातक अनारक्षित श्रेणी एवम अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं द्वारा 55 प्रतिशत अंकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति /दिव्यांगजन के छात्र-छात्राओं द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो। विश्वविद्यालय परिसर में एलएल0एम0 पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न होंगे।

नोटः राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ का सी0जी0पी0ए0 से प्रतिशत में परिवर्तित करने का प्रभावित गुणांक 9.5 है। यदि किसी अन्य विश्वविद्यालय का यह गुणांक भिन्न हो, तो वह गणना हेतु मान्य होगा।

4. सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर (बी0एड0 को छोड़कर) के लिए महाविद्यालयों में आवेदन पत्र के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 30 जून, 2026 होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल रोका गया हो, वह कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की दशा में परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेंगे।

- महाविद्यालय खुलने की तिथि - — 01 जुलाई, 2026
- स्नातक, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि — 05 मई 2026
- स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में पंजीकरण की अन्तिम तिथि — 30 जून 2026
- स्नातक /स्नातकोत्तर/ प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की अन्तिम तिथि — 31 जुलाई, 2026
- प्रथम सेमेस्टर में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये सत्रारम्भ की तिथि (Student induction Program) — 01 अगस्त से 04 अगस्त 2026 तक
- स्नातक /स्नातकोत्तर/ प्रथम सेमेस्टर कक्षाओं में पठन-पाठन आरम्भ करने की तिथि — 05 अगस्त, 2026

नोट-सभी तिथियाँ विश्वविद्यालय से समय-समय पर प्राप्त होने वाली निर्देशों के अनुरूप परिवर्तनीय है।

- उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्र /छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।

5. महाविद्यालय के स्नातक /स्नातकोत्तर कक्षाओं में पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण / प्रोन्नत होने वाले छात्र / छात्राओं को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

6. नियमानुसार एलएल0बी0 06 वर्ष, बी0ए0 एलएल0बी0 08 वर्ष, एल0 एल0एम0 04 वर्ष, बी0एड0 एवं एम0एड0 03 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 07 वर्ष, स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 09 वर्ष (प्रति शैक्षणिक सत्र कुल 3 वर्ष में उत्तीर्ण होना आवश्यक), परास्नातक अधिकतम 06 वर्ष (प्रति शैक्षणिक सत्र 3 वर्ष में उत्तीर्ण होना आवश्यक) में पूर्ण करना अनिवार्य होगा अथवा नई शिक्षा नीति के निर्देशानुसार होगा।

7. राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में, अन्तराल की स्थिति में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को 2 वर्ष के अन्तराल की छूट दी जायेगी तत्पश्चात प्रति वर्ष 2 अंक की कटौती कर विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों द्वारा योग्यतांक सूची तैयार की जायेगी।

अन्तराल के सम्बन्ध में छात्र / छात्राओं को निम्न चार बिन्दुओं पर प्राचार्य के समक्ष घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

1. किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता का दोषी नहीं पाया गया हो।
2. किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध में दण्डित न हुआ हो अथवा दोषी न पाया गया हो ।
3. किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत न हो।
4. कहीं सेवारत न हो ।

8. प्राचार्य को प्रवेश के संबंध में राजा महेन्द्र प्रताप सिहविश्वविद्यालय अलीगढ़ की परिनियमावली यथा डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के अध्यादेश-19 के अनुसार कर्तव्य एवं अधिकार प्राप्त होंगे।

“Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forth with-"

निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से महाविद्यालय द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है-

(अ) यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो ।

(ब) यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दण्डित किया गया हो अथव दोषी पाया गया हो ।

9. स्नातक /स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे:-

(i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडियट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

(ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य प्रदेशों से आने वाले छात्र/छात्रायों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 05 प्रतिशत विदेशी छात्र / छात्रायें भी सम्मिलित है।

(iii) शासनादेश संख्या जी0आई0 35 / सत्तर-1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र/छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा ।

(iv) क्रमांक (ii) व क्रमांक- (iii) में रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रमांक-(i) के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

(v) विदेशी छात्र / छात्राओं को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्र / छात्राओं को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। समिति के निम्नलिखित सदस्य होगें -

(a) अधिष्ठाता छात्र कल्याण ।

(b) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य चक्रानुसार ।

(c) जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित ।

नोटः-कोई भी महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्र / छात्राओं को प्रवेश नहीं देगा।

(vi) समिति का यह भी दायित्व होगा कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

10. शैक्षिक अंकों की गणना:-

(क) स्नातक पाठ्यक्रमः -

शैक्षिक अंक (Academic Score)= {(हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक)x 30 + (इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक) x70 } /100. + अतिरिक्त अंक (Weigtage Marks)(यदि लागु हो) ।

सी0जी0पी0ए0 की स्थिति में -

शैक्षिक अंक (Academic Score)= {(हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त सी0जी0पी0ए0)x 3 + (इंटरमीडएट अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त सी0जी0पी0ए0) x 7 } + अतिरिक्त अंक (Weightage Marks)(यदि लागु हो) ।

(ख) स्नातकोत्तर एवं एलएल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमः-

(इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक)x 30 + (स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक) x70 } /100. + अतिरिक्त अंक (Weigtage Marks)(यदि लागु हो) ।

सी0जी0पी0ए0 की स्थिति में -

शैक्षिक अंक (Academic Score)= {(इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त सी0जी0पी0ए0)x 3 + (स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त सी0जी0पी0ए0) x 7 } + अतिरिक्त अंक (Weightage Marks) (यदि लागु हो) ।

(ग) एलएल0एम0 पाठ्यक्रम:-

1. एलएल0बी0 /बी0ए0 एलएल0बी0 के प्राप्ताकों के आधार पर ।

नोट: अधिकतम शैक्षिक अंक (Maximum Academic score) 100 होंगे | यदि अतिरिक्त अंक (Weighate Marks) जोड़ने के पचात् कुल योग 100 से अधिक आता है, तब भी अर्जित घोषित शैक्षिक अंक 100 ही माने जायेगे |

10(घ) पाठयक्रम जिसमें प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है –

पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट प्रवेशांकों (Admission Score)के आधार पर घोषित की जायेगी तथा प्रवेशांक (Admission Score) , शैक्षिक अंक (Academic Score) तथा योगतांक (Test Score) का औसत मान (Average Value) होगा यथा -

प्रवेशांक(Admission Score) = [शैक्षिक अंक(Academic Score)+योग्यता अंक(Test Score)]/2

शैक्षिक अंक (Academic Score): शैक्षिक अंको की गणना पूर्व की भांति होगी ।

(Test Score) : प्रवेश परीक्षा में अधिकतम प्राप्तांक 100 में अर्जित किये गये अंक होंगे।

प्रवेश परीक्षा का प्रारूप: अधिकतम 100 अंको की प्रवेश परीक्षा MCQ पैटर्न पर आयोजित की जायेगी, जिसमें स्नातक स्तर पाठ्यक्रम के लिये इंटरमीडएट का पाठयक्रम तथा स्नातकोत्तर के पाठयक्रम (संबंधित विषय का) स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम निर्धारित होगा | यदि दो छात्र के प्रवेशांक (Admission Score) एकसमान आते हैं, तो उस छात्र को वरियता दी जाएगी जिसके योगतांक (Test Score) अधिक हैं | परंतु यदि योगतांक भी एकसमान है , तो वरीयता का आधार आयु होगी |

अतिरिक्त अंकों का निर्धारण (अधिकतम 10 अंक)

अतिरिक्त अंक (जंहा अनुमन्य हो) प्रदान करते समय यह प्रतिबंध है कि इनका कुल योग 10 से अधिक नहीं होगा तथा अतिरिक्त अंक प्रदान करने पर कुल शैक्षिक अंक 100 से अधिक नहीं होंगें|

अतिरिक्त अंको की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी –

(क) स्नातक कक्षायें:

1. उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्य स्तरीय अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए (क) प्रथम विजेता -4 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता -3 अंक।
(ग) तृतीय विजेता - 2 अंक।
(घ) प्रतिभाग करने पर - 1 अंक।

2. एन0सी0सी0 "सी" सर्टीफिकेट / जी-2 उत्तीर्ण कैडेटों को -4 अंक।

अथवा

एन0सी0सी0 "बी" सर्टीफिकेट / जी-1 उत्तीर्ण कैडेटों को -3 अंक।

अथवा

एन0सी0सी0 कैडेट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है तथा 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। - 01 अंक।

एन0एस0एस0 से संबंधित :

एन0एस0एस0 में 240 घंटे काम किया हो तथा दो कैंपों में भाग लिया हो –3 अंक।

अथवा

एन0 एस0 एस0 म 240 घंटे काम कया तथा एक कैम्प में भाग लिया हो - 2 अंक।

स्काउट तथा रेंजर/रोबर्स से संबंधित:

स्काउटिंग तथा रोबर्स / रेंजर के वह सदस्य जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया हो–4 अंक।

अथवा

स्काउटिंग तथा रोबर्स / रेंजर के वह सदस्य जिन्हें उत्तरप्रदेश के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है -3 अंक।

अथवा

स्काउटिंग तथा रोबर्स / रेंजर के वह सदस्य जिन्होंने तृतीय सोपान/गुरुपद/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण हो -2 अंक।

अन्य :

1. राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़/सम्बद्ध महाविद्यालय में स्थायी सेवारत व स्ववित्तपोषित संस्था के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित(कम से कम पांच वर्ष पूर्ण करने पर) के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री(अविवाहित)-10 अंक। अथवा

भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों(या अन्य रैंक) के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री (अविवाहित)- 4 अंक। अथवा

भारतीय सेना/पैरा मिलिट्री फोर्सेस/अर्ध सैनिक बल/पुलिस/ पी0ए0सी0 में कार्य करते हुए शहीद के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री(अविवाहित)-10 अंक।

प्रवेश के समय प्रत्येक अभ्यर्थी अतिरिक्त अंको के लाभ हेतु संबंधित वैध प्रमाण पत्रों की प्रति स्वयं उपलब्ध करायेगा,परंतु यदि यह घोषणा/प्रमाण पत्र गलत पाए गए तो उसे अतिरिक्त अंको का लाभ अनुमन्यनहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में दस अतिरिक्त अंक से अधिक अनुमन्य नहीं होंगे।

(ख) स्नातकोत्तर /एलएल0बी0 में प्रवेश हेतु :-

खेल संबंधित:विश्वविद्यालय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्य व राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये -
प्रथम विजेता - 4 अंक।
द्वितीय वजेता -3 अंक।
तृतीय विजेता -2 अंक।
प्रतिभाग करने पर -1 अंक।

विश्वविद्यालय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में अंतरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये-
प्रथम विजेता -3 अंक।
द्वितीय वजेता -2 अंक।
तृतीय वजेता -1 अंक।

एन0सी0सी0 संबंधित :
एन0सी0सी0 "सी" सर्टिफिकेट /जी-॥ उत्तीर्ण कैडेट्स को – 4 अंक।
अथवा
एन0 सी0 सी0 "बी" सटफकेट /जी-। उत्तीर्ण कैडेट्स को - 3 अंक।
अथवा
एन0सी0सी0 कैडेट्स जिन्होंने 240 घंटे कार्य किया तथा 2 कैंपों में भाग लिया है, परन्तु कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है - 1 अंक।

एन0एस0एस0 संबंधित :
एन0एस0एस0 में 240 घंटे कार्य किया तथा 2 कैंपों में भाग लिया है – 3 अंक।
अथवा
एन0एस0एस0 में 240 घंटे काम किया तथा एक कैंप में भाग लिया है- 2 अंक।
अथवा

स्काउट तथा रेंजर/रोबर्स से संबंधित:
स्काउटिंग तथा रोबर्स / रेंजर के वह सदस्य जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया हो–4 अंक।
अथवा
स्काउटिंग तथा रोबर्स / रेंजर के वह सदस्य जिन्हें उत्तरप्रदेश के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है -3 अंक।
अथवा
स्काउटिंग तथा रोबर्स / रेंजर के वह सदस्य जिन्होंने तृतीय सोपान/गुरुपद/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण हो -2 अंक।

टिप्पणी:
(i) प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वंय करेगा। यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायगी।

(ii)प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(iii) संलग्न प्रवेश हेतु आवेदन करते समय अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेने हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से संलग्न करें तथा संलग्न प्रमाण पत्र वैध हो अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत समझा जायेगा।

(iv)किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय सेवारत समझा जाये, जब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।

(v)शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी,स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित / एन0सी0सी0 अधिकारी / एन0एस0एस0 अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

11.(अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगें जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं हो । ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर संलग्न करना होगा।

(ब) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्र / छात्राओं को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा. लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं करेगें। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृत सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 30 छात्र / छात्राओं एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र / छात्राओं के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(स)विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

(द) यदि संस्थागत छात्र/छात्राएं किसी भी ऐसे विषय का अध्ययन करना चाहते हैं, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नही है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है,वे ऐसे विषय का अध्ययन अपने स्वयं के स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल-SWAYAM or MOOC's के माध्यम से पूर्ण करेंगे।

(य)प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेगें। कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(र) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र / छात्रा के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।

(ल) प्रवेशित छात्र / छात्राओं को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित छात्र / छात्रा का होगा।

(व)अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और वेबसाइट पर सूचनाओं व सूचियों की अद्यतन जानकारी रखे, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सके ।

12.आवेदक यदि किसी आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गये लाभ का वैध प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

13. यदि छात्र/छात्रा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है और उन्होंने इंटर की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड से उतीर्ण की है तो मूल निवास प्रमाण पत्र भरने की बाध्यता नहीं है। किसी अन्य बोर्ड अथवा प्रांत से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में निवास प्रदर्शित किया हो तो प्रवेश प्रक्रिया के समय मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

सत्र-2026-2027

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें। उनका यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ तथा उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने का प्रयास नहीं किया । नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का ही होगा।

कुलसचिव

IMPORTANT GUIDELINES FOR FILLING THE APPLICATION FORM

1. Before starting to fill the application form candidates are advised to read the Prospectus displayed on the website of the University and be clear about the programmes offered by the University, seats available, eligibility as regards age, passing/appearing in qualifying exam, minimum marks in the qualifying exam, relaxation thereof, reservation, admission procedure, subject to be chosen from list of Programmes etc. available at https://rmpssuadm.samarth.edu.in/ .
2. Students must submit self-attested photocopies of the required documents along with the Application Form. The original Migration/Transfer Certificate should be submitted at the time of counseling.
3. It is the sole responsibility of the candidate to ensure his/her eligibility before applying for admission to a particular programme. No claim of any sort in this matter shall be entertained by the University after the submission of the Form.
4. Payment of fee will be done in online mode only.
5. The Application Fee is non-refundable and no correspondence in this respect will be entertained.
6. Register for the Online Application Form and note down the system- generated Application Number. The candidate should supply the required details while filling the Online Application Form and is also required to create a PASSWORD. After successful submission of the personal details, an Application number will be generated and it will be used to complete the remaining steps of the Application Form and will also be required for all future reference/correspondence.
7. The Candidates can log in with the id and password for completing the Application Form including filling up personal details, educational qualification, programme selection and uploading the images and documents (if any).
8. Upload scanned images of the candidate's photograph, signature and relevant certificates for reserved categories (SC, ST, OBC, EWS and Physically Challenged Person), and any other applicable categories to avail benefits in the admission process. Ensure that the scanned copies are clear, legible, and in the prescribed format to avoid any discrepancies.
9. The candidate will have to upload his/her recent photograph in JPG/JPEG format. The recent photograph should be either in colour or black and white with 80% face (without mask) visible.
10. The size of the scanned photograph should be (clearly visible) within the size limit as prescribed.
11. The candidate is required to upload his/her scanned copy of signature. The scanned signature should be in JPG/JPEG format (clearly legible) within the size as prexcribed. The name of these files (photograph and signature) should be appropriate.

12. The candidate has to upload the scanned copy of certificate of reserved categories. The scanned copy of these certificates (if applicable) should be named very appropriately in the required format.
13. Please check your photograph and signature before submission of the Application Form. In case the photograph or signature is blurred or not visible to identify the identity of the candidate then, the application will be rejected and no option for correction or revision shall be permitted. Note: The Candidate has to upload only his/her own photograph, signature, and other certificates wherever applicable, as mentioned above (and not of anybody else) in a correct/proper manner. In case, it is found at any time in the future that the candidate has used/uploaded the photograph, signature, and certificate(s) of someone else in his/her Application Form, or he/she has tampered with his/her Admit Card, these acts of the candidate shall be treated under Unfair Means (UFM) Practices and actions would be taken as per the provisions relating to Unfair Means Practices.
14. After completing online application form, the candidates have to pay the requisite registration fee. The fee can be submitted only online through Net Banking, Credit Card, Debit Card, or UPI. Processing charges and GST as applicable are chargeable to the candidate (in addition to the examination fee) by the concerned Bank/Payment Gateway Integrator.
15. The Confirmation Page of the online Application Form will be generated only after successful payment by the Candidate. In case the Confirmation Page is not generated after payment of the fee, then the candidate may have to approach the concerned Bank/Payment Gateway (in the helpline number) to ensure the successful payment or to obtain the refund of duplicate/multiple payments. Note: No request for refund of fee once remitted by the candidate will be entertained by University under any circumstances.
16. Download, save and print a copy of the Application Form (which would be downloadable only after the successful remittance of the fee) for future reference.
17. Candidate can apply in maximum 5 program with single fee.

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

सत्र-2026-2027

IMPORTANT GUIDELINES FOR FILLING THE APPLICATION FORM

1. The selected applicants must complete their admission formalities as per the Admission Schedule.
2. At the time of admission, the applicants shall be required to produce the following documents in original with one set of self-attested photocopies of the same, failing which their admission is liable to be cancelled.

Document Required:

- Marksheet and Certificate of High School/Equivalent
- Provisional/Original Marksheet and Certificate of Intermediate/ Equivalent Marksheet and Degree of Undergraduate Programme (only for PG level Programmes)
- Transfer Certificate/Migration Certificate
- Character Certificate from Head of the Institution last attended or Gazetted Officer.
- EWS (Economically Weaker Section) Certificate, Caste Certificate (SC/ST/OBC) issued by the competent authority on the basis of which the reserved seat is being claimed.
- Any other Certificate on the basis of which the reservation and weightage is being claimed.
- Prescribed Fee
- Gap affidavit (if applicable)

Note: Admission shall be subject to the verification of these documents.

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

सत्र-2026-2027

FEE STRUCTURE For UG & PG Programme in CAMPUS

Faculty of Arts		
Programme	**Fee**	**Available Subjects**
Bachelor Of Arts (Practical)	Rs.5530/- for 1st Year Rs.5230/- for 2nd Year Rs.5780/- for 3rd Year	(Economics- 60 Seats),(Education-60 Seats), (English-60 Seats), (Geography-60 Seats), (Hindi-60 Seats), (Home Science-60 Seats), (Political Science-60 Seats), (Sociology-60 Seats), (Sanskrit-60 Seats), (Psychology- 60 Seats), (Defence & Strategic Studies -60 Seats), (Ancient History, Archalogy & Culture-60 Seats), (Medieval & Modern History-60 Seats)
Bachelor Of Arts (Non-Practical)	Rs.4770/- for 1st Year Rs.4470/- for 2nd Year Rs.5020/- for 3rd Year	
Master Of Arts (Practical)	Rs.6025/- for 1st Year Rs.6275/- for 2nd Year	(Economics- 60 Seats), (Education-60 Seats), (English-60 Seats), (Geography-60 Seats), (Hindi-60 Seats), (Home Science-60 Seats), (Political Science-60 Seats), (Sociology-60 Seats), (Sanskrit-60 Seats), (Psychology- 60 Seats), (Defence & Strategic Studies -60 Seats), (Ancient History, Archalogy & Culture-60 Seats), (Medieval & Modern History-60 Seats)
Master Of Arts (Non-Practical)	Rs.5575/- for 1st Year Rs.5825/- for 2nd Year	

Faculty of Science		
Programme	**Fee**	**Available Subjects**
Bachelor of Science(B.Sc.)	Rs.5530/- for 1st Year Rs.5230/- for 2nd Year Rs.5780/- for 3rd Year	(Biotechnology- 60 Seats),(Zoology- 60 Seats) (Physics- 60 Seats), (Mathematics-60 Seats) (Environmental Science- 60 Seats), (Computer Science- 60 Seats) (Chemistry- 60 Seats), (Botany- 60 Seats)
Master of Science(M.Sc.)	Rs.6025/- for 1st Year Rs.6275/- for 2nd Year	(Biotechnology- 30 Seats), (Zoology- 30 Seats) (Physics- 30 Seats), (Mathematics- 30 Seats) (Environmental Science- 30 Seats), (Computer Science-- 30 Seats), (Chemistry- 30 Seats) (Botany- 30 Seats)

नोट-

1. B.Sc Computer Science के लिये 2000/- प्रति सेमेस्टर अलग से देय होगा।
2. Vocational paper/Course स्नातक के लिये प्रति सेमेस्टर 250/- अलग से देय होगा।
3. यदि कोई छात्र/छात्रा II Sem. अथवा IV Sem. के पश्चात Exit करता/करती है तो प्रमाण पत्र (Certificate Diploma) हेतु रू0 300/- देय होगा
4. Caution Money रू0 500/- अलग से देय होगा।

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

सत्र-2026-2027

FEE STRUCTURE For UG & PG Programme in CAMPUS

Faculty of Agriculture		
Programme	**Fee**	**Available Subjects**
Bachelor of Agriculture Science (B.Sc.Ag.)	Rs.5530/- for 1st Year Rs.5230/- for 2nd Year Rs.5780/- for 3rd Year	(Agriculture Plant Pathology- 60 Seats) (Agriculture Agronomy- 60 Seats) (Plant Genetics & Plant Breeding - 60 Seats)
Master of Agriculture Science (M.Sc.Ag.)	Rs.6025/- for 1st Year Rs.6275/- for 2nd Year	(Agriculture Plant Pathology- 30 Seats) (Agriculture Agronomy- 30 Seats) (Plant Genetics & Plant Breeding - 30 Seats)

Faculty of Commerce		
Programme	**Fee**	**Available Subjects**
Bachelor of Commerce (B.Com.)	Rs.4770/- for 1st Year Rs.4470/- for 2nd Year Rs.5020/- for 3rd Year Additional Rs.200/- for Practical/semester	Commerce- 120 Seats
Master of Commerce (M.Com.)	Rs.5325/- for 1st Year Rs.5875/- for 2nd Year	Commerce- 60 Seats

Faculty of Law		
Programme	**Fee**	**Available Subjects**
Master of LAW (LL.M)	Rs.5625/- for 1st Year Rs.5875/- for 2nd Year	LAW- 60 Seats

Note: EWS Seats are as per State Govt. Norms.

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।

Toll Free No : 18001230300

Contact Details: registrar.rmpu@gmail.com

samarth@rmpssu.ac.in

Website-www.rmpssu.ac.in